रजिस्टर्ड नं० एल० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 12 जनवरी, 1971

पौष 22, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 21/17—350-70

लखनऊ, 21 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1970 पर दिनांक 10 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1971 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1971)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

ऐसे कतिपय कार्यकलापों के जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हों और ऐसे कार्यों के जिनसे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, निवारण की और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिये आदेश देने का अधिकार

2—(1) यदि राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाय कि उसे किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने से, जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो या जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह ऐसा आदेश (जिसे एतद्पश्चात निरोधादेश कहा गया है) दे सकती है जिसमें यह निदेश हो कि वह व्यक्ति निरुद्ध किया जाय।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये—

(1) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी भी आधार पर, चाहे वे जो भी हों, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अभ्यर्पण कराने या संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संबंध विच्छेद कराने का अभिप्राय हो, अथवा जिससे ऐसा कराने के किसी दावे का समर्थन होता हो, या जिससे भारत की प्रभुता और उसकी राज्य क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार किया जाय, या उस पर आपत्ति की जाय, या उसे विच्छिन्न किया जाय अथवा विच्छिन्न करने का अभिप्राय हो, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को घातक हथियारों के प्रयोग से उलटना या समाप्त करना हो, या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिए व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

(2) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) भारत के मानचित्र, या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, या महात्मा गांधी की किसी प्रतिमा अथवा अन्य सचित्र प्रतिरूप को विकृत करना, क्षतिग्रस्त करना, जलाना, अपवित्र करना, नष्ट करना या किसी अन्य प्रकार से उसे अपमानित करना, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना, अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "घातक हथियारों" का तात्पर्य आग्नेयास्त्रों, विस्फाटक या संक्षारक पदार्थ, तलवारों, ढालों, कटारों, तथा चाकुओं से है।

(3) निम्नलिखित कोई भी अधिकारी अर्थात्:

(क) जिला मैजिस्ट्रेट,

(ख) अपर जिला मैजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत हों,

यदि उपधारा (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार उसका समाधान हो जाय, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो वह इस तथ्य की सूचना तुरन्त राज्य सरकार को उन कारणों सहित भेजगा जिनके आधार पर उक्त आदेश दिया गया हो और साथ ही ऐसे अन्य ब्यो भी देगा जो उसकी राय में विषय से संबंधित हों, और इस प्रकार कोई भी आदेश, उस व्यक्ति जिसके संबंध में आदेश दिया गया हो, के निरुद्ध किये जाने के दिनांक के पश्चात् बारह दि से अधिक दिन तक प्रवृत्त न रहेगा जब तक कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय।

निरोधादेश का निष्पादन 1898 की अधिनियम संख्या 5

3—निरोधादेश का निष्पादन उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन के लिये व्यवस्थित रीति में किया जा सकता है।

निरुद्ध स्थान तथा उसकी शर्तों को विनियमित करने का अधिकार

4—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध मे कोई निरोधादेश दिया गया हो:—

(क) ऐसे स्थान में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत अनुरक्षण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिये दंड संबंधी ऐसी शर्तें भी हैं, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा

(ख) राज्य सरकार के आदेश से राज्य के भीतर किसी एक निरोध के स्थान से दूसरे निरोध के स्थान को हटाया जा सकेगा।

कतिपय कारणों से निरोधादेश न तो अवैध होगा और न ही परिवर्तन शून्य होगा

5—कोई भी निरोधादेश केवल इस कारण कि—

(क) तद्धीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है, आदेश देने वाले अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने का स्थान, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है, आदेश देने वाले अधिकारी की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, न तो अवैध होगा और न परिवर्तन शून्य होगा।

फरार व्यक्तियों के संबंध में अधिकार

6—(1) यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा धारा 2 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति, जिसके संबंध में निरोधादेश दिया है, फरार हो गया है अथवा अपने को इस प्रकार छिपाये हुए है कि उक्त आदेश निष्पादित न किया जा तो उक्त सरकार या अधिकारी—

1898 का अधिनियम संख्या 5

(क) किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को जिसका उस स्थान पर क्षेत्राधिकार हो जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतया निवास करता हो, ऐसे तथ्य की लिखित सूचना देगा, और तदुपरान्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 87, 88 तथा 89 के उपबन्ध उक्त व्यक्ति और उसकी संपत्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह आदेश जिसमें उसे निरुद्ध करने का निदेश दिया गया है, मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट हो,

(ख) गजट में आदेश को अधिसूचित करके उक्त व्यक्ति को ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट हों, प्रस्तुत होने का निदेश दे सकता है, और यदि उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन न करे तो उसे, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त निदेश का पालन करना उसके लिये संभव न था और यह कि उसने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश में उल्लिखित अधिकारी को उस कारण से, जिससे आदेश का अनुपालन करना असंभव हो गया था, और आवासीय गतिविधियों से सूचित कर दिया था, ऐसी अवधि के लिये, जो एक वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दंड अथवा अर्थ-दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

निरोधादेश के कारणों को आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को बतलाया जाना

7—(1) यदि कोई व्यक्ति निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाय तो ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, किन्तु निरुद्ध किये जाने के दिनांक से अधिक से अधिक पांच दिन के भीतर उसे ऐसा आदेश दिये जाने के कारणों के संबंध में संसूचित करेगा, और उसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर देगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी उन तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझे ।

(3) यदि अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है, तो वह संबद्ध व्यक्ति का निरोध ऐसी अवधि के लिये जारी रख सकती है जिसे वह उचित समझे, और यदि उसका ऐसा समाधान न हो तो वह निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा संबद्ध व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् का संघटन

8—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, जब भी आवश्यक हो, एक या एकाधिक परामर्शदात्री परिषद् संघटित कर सकती है ।

(2) प्रत्येक ऐसी परिषद् में तीन व्यक्ति होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों में से नियुक्त किये जायेंगे ।

(3) राज्य सरकार, परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में से किसी सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो, उक्त परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् को अभिदेश

9—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई निरोधादेश दिया गया हो, राज्य सरकार, आदेश के अधीन निरुद्ध किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा 8 के अधीन अपने द्वारा संघटित परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष उन कारणों को जिन पर आदेश दिया गया हो, तथा ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, राज्य सरकार की टिप्पणी के साथ और यदि ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो धारा 2 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी रखेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् की प्रक्रिया

10—(1) परामर्शदात्री परिषद्, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए बुलाये गये किसी व्यक्ति से अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से ऐसी अग्रेतर सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझे अथवा यदि सम्बद्ध व्यक्ति अपनी सुनवाई कराने का इच्छुक हो तो उसकी व्यक्तिशः सुनवाई करने के पश्चात्, निरुद्ध किये जाने के दिनांक से दस सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी ।

(2) परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट में, उसके पृथक भाग में, परामर्शदात्री परिषद् की इस सम्बन्ध में राय निर्दिष्ट होगी कि सम्बद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं ।

(3) यदि परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में मतभेद हो तो बहुसंख्यक सदस्यों की राय परिषद् की राय समझी जायगी ।

(4) इस धारा में कोई बात किसी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध निरोधादेश दिया गया हो, परामर्शदात्री परिषद् को किये गये अभिदेश से सम्बन्धित किसी भी मामले में विधि व्यवसायी द्वारा

उपस्थित होने का अधिकार नहीं प्रदान करती है, तथा परामर्शदात्री परिषद् की कार्यवाहियों तथा उसकी रिपोर्ट, सिवाय रिपोर्ट के उस भाग के जिसमें परामर्शदात्री परिषद् का मत निर्दिष्ट हो, गोपनीय होंगी।

परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट पर कार्यवाही

11—(1) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है तो राज्य सरकार ऐसे निरोधादेश की पुष्टि कर सकती है, और संबद्ध व्यक्ति की निरुद्धि को ऐसी अवधि के लिए जारी रख सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(2) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण नहीं है तो राज्य सरकार निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा उक्त व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी।

निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि

12—धारा 11 के अधीन पुष्टीकृत किसी भी निरोधादेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकने की अधिकतम अवधि निरुद्ध करने के दिनांक से एक वर्ष होगी।

निरोधादेशों का विखंडन

13—(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी निरोधादेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत किया जा सकता है, भले ही ऐसा आदेश धारा 2 की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा क्यों न दिया गया हो।

(2) किसी निरोधादेश के विखंडन, समाप्ति या अकृतता के न्याय निर्णयन से उसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में धारा 2 के अधीन कोई नया निरोधादेश दिये जाने में बाधा न पड़ेगी जिसमें उक्त विखंडन, समाप्ति या न्याय निर्णयन के दिनांक के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उत्पन्न हुये हों जिन पर यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपर्युक्त आदेश दिया जाना चाहिए:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई भी बात राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को उन कारणों पर जिनके आधार पर आदेश विखंडित, समाप्ति या अकृत न्याय निर्णीत हुआ था, नवीन तथ्यों के साथ, नया निरोधादेश जारी करते समय विचार करने से नहीं रोकेगी।

निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थायी रूप से मुक्त करना

14—(1) राज्य सरकार किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किये गये किसी व्यक्ति को, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये, या तो बिना शर्त या निदेश में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो उस व्यक्ति को स्वीकार हों, मुक्त कर दिया जाय, और किसी भी समय उसे मुक्त करने के आदेश को रद्द कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त करने के निदेश में, उसके निदेश में निर्दिष्ट शर्तों का सम्यक पालन करने के लिये प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित कोई बन्ध-पत्र लिखने की अपेक्षा कर सकती है।

(3) उपधारा (1) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस आदेश में जिसमें, यथास्थिति, उसे मुक्त करने या उसकी मुक्ति को रद्द करने का निदेश हो, निर्दिष्ट समय और स्थान पर तथा प्राधिकारी के समक्ष अपने को अध्यर्पित करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण से, उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति से अपने को अध्यर्पित न करे तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड, जो दो वर्ष तक हो सकता है, अथवा अर्थ दंड, या दोनों ही दंड दिये जायेंगे।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अधीन उस पर आरोपित या उसके द्वारा लिखे गये बन्ध-पत्र की किन्हीं भी शर्तों को पूरा न करे तो बन्ध पत्र को समपृहृत हुआ घोषित किया जायेगा और उससे आबद्ध व्यक्ति को उसके लिये शास्ति देनी होगी।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण

15—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

No. 21/XVII–350-70

Dated Lucknow, January 12, 1971

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 10, 1971

THE UTTAR PRADESH RASHTRA VIRODHI TATWA NIWARAN ADHINIYAM, 1970

(Uttar Pradesh Act No. 5 of 1971)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

To provide for the prevention of certain activities prejudicial to the security of the State and of acts disrespectful of objects of national veneration, and for matters connected therewith

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows–

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran Adhiniyam, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Power to make orders detaining certain persons.

2. (1) The State Government may, if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the security of the State or disrespectful of objects of national veneration, it is necessary so to do, make an order (hereinafter referred to as a detention order) directing that such person be detained.

(2) For the purposes of sub-section (1)–

(i) the expression "acting in any manner prejudicial to the security of the State" means–

(*a*) committing any act which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union, or which disclaims or questions or disrupts, or is intended to disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India ; or

(*b*) committing any act with a view to overthrowing or destroying, by the use of lethal weapons, the Government established by law ; or

(*c*) organizing or inciting persons to commit, or advocating the necessity or desirability of the commission of, any of the acts specified in clause (*a*) or clause (*b*) ;

(ii) the expression "acting in any manner disrespectful of objects of national veneration" means–

(*a*) mutilating, damaging, burning, defiling, destroying, or in any other manner insulting the map of India or the Indian National Flag or any statue or other pictorial representation of Mahatma Gandhi ; or

(*b*) organizing or inciting persons to commit, or advocating the necessity or desirability of the commission of, any of the acts specified in clause (*a*).

Explanation–In this sub-section, "lethal weapon" means firearms, explosive or corrosive substances, swords, spears, daggers and knives.

(3) Any of the following officers, namely–

(*a*) District Magistrates.

(*b*) Additional District Magistrates specially empowered in that behalf by the State Government, may, if satisfied as provided in sub-section (1), exercise the power conferred by the said sub-section.

(4) When any order is made under this section by an officer mentioned in sub-section (3), he shall forthwith report the fact to the State Government together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as in his opinion have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than twelve days after the date of detention of the person in respect of whom the order has been made unless in the meantime it has been approved by the State Government.

Execution of detention orders. Act no. 5 of 1898.

3. A detention order may be executed at any place in Uttar Pradesh in the manner provided for the execution of warrants of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1898.

Powers to regulate place and conditions of detention.

4. Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable—

(*a*) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance, discipline and punishment for breaches of discipline, as the State Government may, by general or special order specify ; and

(*b*) to be removed from one place of detention to another place of detention within the State by order of the State Government.

Detention order not to be invalid or inoperative on certain grounds.

5. No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason—

(*a*) that the person to be detained thereunder though within Uttar Pradesh, is outside the local limits of the jurisdiction of the officer making the order ; or

(*b*) that the place of detention of such person, though within Uttar Pradesh, is outside the local limits of the jurisdiction of the officer making the order.

Powers in relation to absconding persons.

6. (1) If the State Government or an officer specified in sub-section (1) of section 2, as the case may be, has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, that Government or officer may—

(*a*) make a report in writing of a fact to a Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides and thereupon the provisions of sections 87, 88 and 89 of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall apply in respect of the said person and his property as if the order directing that he be detained were a warrant issued by the Magistrate ;

Act no. 5 of 1898.

(*b*) by order notified in the *Gazette* direct that the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order, and if the said person fails to comply with such direction he shall, unless he proves that it was not possible for him to comply therewith and that he had within the period specified in the order informed the officer mentioned in the order of the reason which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

(2) Every offence under clause (*b*) of sub-section (1) shall be cognizable.

Grounds of order of detention to be disclosed to persons affected by the order.

7. (1) When a person is detained in pursuance of a detention order, the authority making the order shall, as soon as may be, but not later than five days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made, and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the State Government.

(2) Nothing in sub-section (1) shall require the authority to disclose facts which it considers to be against the public interest to disclose.

(3) The State Government, if after considering the representation is of opinion that there is sufficient cause for the detention, continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit, and if it is not so satisfied shall revoke the detention order and cause the person to be released forthwith.

Constitution of Advisory Boards.

8. (1) The State Government shall, whenever necessary, constitute one or more Advisory Boards for the purposes of this Act.

(2) Every such Board shall consist of three members appointed by the State Government from amongst serving Judges of the High Court and District Judges.

(3) The State Government shall appoint one of the members of the Advisory Board who is a serving Judge of the High Court to be its Chairman.

Reference to Advisory Boards.

9. In every case where a detention order has been made under this Act the State Government shall, within thirty days from the date of detention under the order, place before the Advisory Board constituted by it under section 8 the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, with the State Government's comments thereon, and in case where the order has been made by an officer, also the report by such officer under sub-section (4) of section 2.

Procedure of Advisory Boards.

10. (1) The Advisory Board shall, after considering the material placed before it and after calling for such further information as it may deem necessary from the State Government or from any person called for the purpose through the State Government or from the person concerned and if in any particular case it considers it essential so to do or if the person concerned desires to be heard, after hearing him in person, submit its reports to the State Government within ten weeks from the date of detention.

(2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the person concerned.

(3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board, the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.

(4) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner in any matter connected with the reference to the Advisory Board, and the proceedings of the Advisory Board and its report, excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified, shall be confidential.

Action upon the report of Advisory Board.

11. (1) In any case where the Advisory Board has reported that there is in its opinion sufficient cause for the detention of a person, the State Government may confirm the detention order and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit.

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is in its opinion no sufficient cause for the detention of the person concerned, the State Government shall revoke the detention order and cause the person to be released forthwith.

Maximum period of detention.

12. The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order which has been confirmed under section 11 shall be one year from the date of detention.

Revocation of detention orders.

13. (1) Without prejudice to the provisions of section 21 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, a detention order may at any time be revoked or modified, notwithstanding that the order has been made by an officer mentioned in sub-section (3) of section 2, by the State Government.

(2) The revocation, expiry or adjudication of nullity of a detention order shall not bar the making of a fresh detention order under section 2 against the same person in any case where fresh facts have arisen after the date of revocation, expiry or adjudication, on which the State Government or such officer, as the case may be, is satisfied that such an order should be made :

Provided that nothing in this sub-section shall prevent the State Government or such officer from taking into account the grounds on which the order revoked, expired or adjudged null was passed along-with such fresh facts, while passing the fresh detention order.

Temporary release of persons detained.

4. (1) The State Government may at any time direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may at any time cancel his release.

(2) In directing the release of any person under sub-section (1), the State Government may require him to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) Any person released under sub-section (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.

(4) If any person fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.

(5) If any person released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and person bound thereby shall be liable to the penalty thereof.

Protection of action taken under the Act.

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८४ (गजट हिन्दी)—1971—2,035+100 (मे)